

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई
NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY, MUMBAI

निफ्ट कैंपस, प्लॉट नं.-15, सेक्टर-4, खारघर, नवी मुंबई-410210
NIFT Campus, Plot No.-15 Sector-4, Kharghar, Navi Mumbai-410210

4300(1)/Admin/Mum/Pest Control Girls Hostel Plot No.20/2021-22(Part-I)

Date: 16/03/2022

उद्धरण आमंत्रित करने हेतु नोटिस / NOTICE INVITING QUOTATIONS

विषय : निफ्ट कैंपस, प्लॉट नंबर 20 (कन्या छात्रावास), सेक्टर -4, खारघर में कीट नियंत्रण सेवाओं के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए उद्धरण आमंत्रित करने हेतु
Inviting Quotation for Annual Maintenance Contract for Pest Control Services at NIFT Campus, Plot No.20 (Girl's Hostel), Sector-4, Kharghar

निफ्ट-मुंबई, निफ्ट कैंपस, प्लॉट नंबर 20 (कन्या छात्रावास), सेक्टर -4, खारघर में कीट नियंत्रण सेवाओं के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए मुहरबंद उद्धरण आमंत्रित करता है । उद्धरण एक सीलबंद आवरण में और निम्नलिखित नियम और शर्तों के अनुसार होना चाहिए

NIFT Mumbai invites sealed quotations for Annual Maintenance Contract for Pest Control Services at NIFT Campus, Plot No.20 (Girl's Hostel), Sector-4, Kharghar. The quotation should be in a sealed cover and as per the following terms and conditions:

1. दरों को अनुलग्नक- I में दिए गए प्रारूप के अनुसार और जीएसटी सहित उद्धृत करना होगा । जिसके हर पृष्ठ (नियम एवं शर्तों सहित) पर प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर होने चाहिए ।
Rate should be quoted inclusive of GST as per the format on Annexure-I which has to be signed by Authorized signatory on each page (including terms and conditions).
2. उद्धरण प्रस्तुत करने से पहले सोमवार से शुक्रवार के बीच कार्यालय समय के दौरान प्लॉट नं. 20 (कन्या छात्रावास) सेक्टर - 4 खारघर, नवी मुंबई का निरीक्षण कर लेना एजेंसी के लिए हितकर है।
Before submitting quotation, it is in the interest of the agency to conduct inspection of Plot No-20 (Girl's Hostel), Sector-4, Kharghar, Navi Mumbai during office hours from Monday to Friday.
3. उद्धरण को मुहरबंद लिफाफे में तथा मुहरबंद लिफाफे के ऊपर "निफ्ट कैंपस, प्लॉट नं. 20 (कन्या छात्रावास)सेक्टर -4, खारघर में कीट नियंत्रण सेवाओं के लिए वार्षिक रख-रखाव अनुबंध हेतु" वर्णित करके भेजना होगा ।
Quotation should be sent in sealed envelope super scribing "Quotation for AMC of Pest Control Services at NIFT Campus, Plot No-20 (Girl's Hostel), Sector-4, Kharghar" on the envelope.
4. वार्षिक रख-रखाव अनुबंध में मच्छर और मक्खियों के नियंत्रण, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग (जी+10) के सभी कमरे (अन्दर व बाहर दोनों तरफ), स्टाफ क्वार्टर, गेस्ट हाउस, गैलरी / पैसेज आसपास के क्षेत्र (पूर्ण कैंपस में साप्ताहिक रूप से) के लिए कुल 48 सेवाएं (प्रति माह 04 सेवाएं) तथा एकीकृत कीट प्रबंधन (मुख्य रूप से तिलचट्टे, चींटियों, कृतक, पुस्तकों और फफूंदी में पाए जाने वाले कीड़े, बिस्तर के कीड़े, दीमक और छिपकली) के लिए कुल 24 सेवाएं (प्रति माह 02 सेवाएं) शामिल हैं । उपयोग किये जाने वाले कीटनाशक सी.आई.वी. द्वारा अनुमोदित और डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा अनुशंसित होने चाहिए ।

TS

The AMC comprises a total number of 48 services (per month 04 Services) for Mosquito, flies control and termites control, all rooms of Girls' Hostel building (G+10), staff Quarters, Galleries / passages, Surrounding areas. (Entire Campus on weekly basis and total 24 services (twice in a month for entire campus) for Integrated pest management (mainly cockroaches, ants, rodent, silver fish, bed bugs, termites and lizard). Pesticides to be used should be CIB approved and WHO recommended.

5. अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए होगी जिसे कार्य निष्पादन के आधार पर अधिकतम 03 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

The period of contract should be for a period of one year which may be extended up to a maximum of 03 years on the basis of performance.

6. उद्घरण, "संयुक्त निदेशक, निफ्ट कैम्पस, प्लॉट नंबर -15, सेक्टर -4, खारघर, नवी मुंबई- 410210" को संबोधित होना चाहिए और दिनांक 28.03.2022 को दोपहर 03 बजे तक या उससे पहले उपर्युक्त पते पर पहुंच जाना चाहिए।

Quotations should be addressed to "The Joint Director, NIFT Campus, Plot No.-15, Sector-4, Kharghar, Navi Mumbai- 410210" and should reach on the above address on or before 28.03.2022 (03 pm).

7. भुगतान त्रैमासिक आधार पर और संतोषजनक सेवा रिपोर्ट, मूल चालान तथा निफ्ट अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद किया जाएगा। उपरोक्त मात्रा में वृद्धि / कमी हो सकती है और उसका भुगतान वास्तविक रूप से किया जाएगा।

Payments will be made on quarterly basis and subject to the submission of work satisfactory report, original invoices and after verification by concerned NIFT officials. The above quantity may increase/decrease and the payment will be made as per actual.

8. एजेंसी द्वारा निफ्ट-मुंबई के पक्ष में बयाना जमा के रूप में बैंक डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के माध्यम से रु.3500/- (तीन हजार पांच सौ रूपए मात्र) की राशि उद्घरण के साथ जमा करनी होगी।

The agency should submit for an amount of Rs.3,500/- (Rupees Three Thousand Five Hundred Only) by bank Demand Draft / Pay Order in favor of NIFT-Mumbai as an Earnest Money Deposit along with the quotation.

एमएसएमई, उद्यम और एनएसआईसी के तहत पंजीकृत एजेंसियों को एमएसएमई, उद्यम और एनएसआईसी पंजीकरण के उपयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ईएमडी जमा करने से छूट दी जाएगी। तथापि, यदि ऐसी किसी एजेंसी का चयन किया जाता है तो एजेंसी संस्थान के हितों की रक्षा के लिए अपेक्षित सुरक्षा जमा राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होगी।

The agencies registered under MSME, UDYAM & NSIC shall be exempted from submission of EMD on production of suitable certificates of MSME, UDYAM & NSIC registration. However, if any such agency is selected then agency is liable to deposit the requisite Security Deposit to protect the interest of the Institute.

9. सफल एजेंसी द्वारा कार्य आदेश को स्वीकार करने के बाद 7 दिनों के भीतर अनुबंध मूल्य के 5% की राशि सुरक्षा जमा के रूप में जमा करनी होगी।

The selected agency should submit the 5% of the contract value as security deposit within 7 days after accepting the work order.

10. एजेंसी को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की पुष्टि करने के लिए आवश्यक रिकॉर्ड रखने होंगे तथा निफ्ट के प्रतिनिधि से उनका सत्यापन करवाकर उस पर हस्ताक्षर प्राप्त करने होंगे।

TS

The agency will have to keep the necessary records for verification of the services performed by them and get the signature of the NIFT representative after verification.

11. एजेंसी द्वारा उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा साक्ष्यांकित (मुहर सहित हस्ताक्षरित) निम्नलिखित दस्तावेज उद्धरण (अनुलग्नक-1) के साथ प्रस्तुत करने अनिवार्य है, जिसके अभाव में एजेंसी की पात्रता रद्द कर दी जाएगी।

- (क) कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र / उद्योग आधार।
- (ख) संबंधित एजेंसी के पैन कार्ड की कॉपी।
- (ग) कीट नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक वैध लाइसेंस की प्रति।
- (घ) जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
- (ङ) निफ्ट मुंबई के पक्ष में बयाना जमा के रूप में बैंक डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के माध्यम से रु.3500/- (तीन हजार पांच सौ रूपए मात्र) की राशि

It is mandatory for the agency to produce the following documents along with the quotation (Annexure-I) attested by their authorized signatory (signed with seal), in the absence of which the agency's eligibility will be cancelled:

- (a) Company Registration Certificate / Udyog Aadhaar.
- (b) Copy of PAN Card of the concerned agency.
- (c) Copy of valid license required to provide pest control services.
- (d) GST Registration Certificate.
- (e) Earnest Money Deposit of Rs.3500 / - (Rupees Three Thousand Five Hundred Only) through Bank Demand Draft / Pay Order in favor of NIFT Mumbai.

12. असफल बोलीदाता की बयाना जमा राशि लौटा दी जाएगी (बिना किसी ब्याज के), जब की सफल बोलीदाता की बयाना जमा राशि उनके द्वारा सुरक्षा जमा राशि जमा करने के बाद लौटाई जायेगी।

The EMD of unsuccessful bidder will be returned without any interest, while the EMD of successful bidder will be returned without any interest after submission of the Security Deposit by them.

13. कांटेक्टर को रु 100/- का स्टॉप पेपर प्रस्तुत करना होगा तथा कार्य आदेश की स्वीकृति की तारीख से 15 दिनों के भीतर निफ्ट द्वारा दिए गए निर्धारित प्रारूप में एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।

The contractor has to submit a stamp paper of Rs. 100/- and sign an agreement in the prescribed format given by NIFT within 15 days from the date of acceptance of the work order.

14. कांटेक्टर समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

The contractor will be liable for ensuring compliance with relevant Rules and Regulations as notified by the Government from time to time

15. फोर्स मेज्वोर क्लॉज / Force Majeure Clause

फोर्स मेज्वोर क्लॉज का मतलब भारत में होने वाली किसी घटना या परिस्थिति या संयोजन से होगा जो फोर्स मेज्वोर क्लॉज ("प्रभावित पार्टी") का दावा करने वाली पार्टी को अपने दायित्वों का निर्वाह करने में प्रभावित करे या रोके। फोर्स मेज्वोर क्लॉज (गैर-राजनीतिक या राजनीतिक) जैसे कि ईश्वर के कार्य या प्रभावित पार्टी के उचित नियंत्रण से परे प्राकृतिक आपदा जो कि यथोचित होने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, रेडियोधर्मी संदूषण, आयनीकरण विकिरण, महामारी, युद्ध का कृत्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), हड़ताल या बहिष्कार या औद्योगिक कार्रवाई या किसी भी तरह का कोई सार्वजनिक आंदोलन आदि की स्थिति में सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए प्रचलित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

— 75

Force Majeure Clause shall mean any or circumstance or a combination occurring in India which affect or prevent the Party claiming Force Majeure ("Affected Party") from performing its obligations. In the event of Force Majeure (Non – Political or Political) such as Acts of God or natural disaster beyond the reasonable control of the Affected Party which could not reasonably have been expected to occur, Radioactive contamination, ionizing radiation, Epidemic, an act of war (whether declared or undeclared), Strikes or boycotts or industrial action or any public agitation of any kind, the prevalent guidelines issued from time to time by the Government will be followed.

16. Penalty Clause:

(क) किसी भी महीने के दौरान कीट नियंत्रण सेवाओं को भाग या पूर्ण रूप से बांछित मानकों के अनुसार बनाए रखने में विफलता की स्थिति में, एजेंसी रु 250/- प्रतिदिन तथा अधिकतम रु. 2500/- (10 दिनों तक) की दर से जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है जो कि बिलों से या अन्यथा वसूल किया जाएगा।

(a) In the event of failure in maintaining the pest control services during any month to the desired standards in part or full, the Agency/Firm is liable to pay penalty at the rate of Rs. 250/- per day subject to the maximum of Rs. 2500/- (upto 10 days), which shall be recovered from the bill or otherwise.

(ख) उपरोक्त शर्त (क) को पूरा न करने की स्थिति में, ऊपर दिए गए (क) के साथ चेतावनी पत्र भी दिया जाएगा।

(b) In the event of non-fulfilling the condition (a) above, warning letter along with penalty as prescribed at (a) above shall be served.

(ग) यदि कीट नियंत्रण सेवाओं में कोई शिकायत मिलती है, तो एजेंसी को तुरंत कीट नियंत्रण फिर से करना होगा और साथ ही एजेंसी पर जुर्माना (अनुबंध मूल्य का अधिकतम 5%) लगाया जाएगा और यहां तक कि अनुबंध की समाप्ति भी हो सकता है।

(c) If any complaint is received in pest control services, the agency will have to immediately redo the pest control and also penalty (maximum up to 5% of the contract value) will be imposed on the agency and may even result in termination of contract.

17. किसी भी विवाद की स्थिति में, न्याय सीमा क्षेत्र का क्षेत्र केवल मुंबई होगा।

In case any dispute, the area of jurisdiction will be Mumbai only.


संयुक्त निदेशक
निफ्ट-मुंबई